

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14092025-266153  
SG-DL-E-14092025-266153असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 218
No. 271]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 218

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

फा. सं. 1/25/2024-न्यायिक/अधीनविधि/1698-1705.-दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा निम्नलिखित उम्मीदवारों को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर दिल्ली न्यायिक सेवा में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में नियमित रिक्त पदों के निमित्त, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 7(1) (ख) के अंतर्गत आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2024 उत्तीर्ण करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री पुनीत नागपाल
2. श्री निशांत गर्ग
3. सुश्री स्वाति गुप्ता-।

2. उपरोक्त नियुक्ति दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970, अद्यतन यथा संशोधित, के प्रावधानों तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाले अन्य आदेशों/अनुदेशों के अधीन होगी।
3. इस पद का वेतनमान दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के समान होगा, जैसा कि पदोन्नत अधिकारियों के संबंध में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 20 में प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th September, 2025

**F. No. 1/25/2024-Judl./Suptlaw/ 1698-1705.**—In pursuance of the provisions of Rule 12 of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint the following candidates as member of the Delhi Higher Judicial Service pursuant to their passing of the Limited Departmental Competitive Examination, 2024, held under rule 7(1)(b) Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, against regular vacant posts in order of their inter se seniority in Delhi Judicial Service on probation, for a period of two years w.e.f. the date they assume the charge of their office.

(1) Mr. Puneet Nagpal

(2) Mr. Nishant Garg

(3) Ms. Swati Gupta-I

2. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Higher Judicial Service from time to time.

3. The post carries the scale of pay of members of the Delhi Higher Judicial Service, as is provided in Rule 20 of Delhi Higher Judicial Service Rule, 1970, in respect of Promoted Officers.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy. (Law, Justice & LA)